हरियाणा सरकार

जेल विभाग हरियाणा

की

वर्ष 2010–11

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

42

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE HARYANA JAILS DEPARTMENT FOR THE YEAR 2010-11.

In the year 2010-11 following Institutions functioned under the Administrative control of the Jails Department :-

1.	Central Jails Ambala and Hisar	02
2.	District Jails Rohtak, Gurgaon, Karnal, Kurukshetra, Bhiwani, Sirsa, Jind, Sonepat, Rewari, Kaithal, Yamunanagar, Faridabad, Narnaul, Palwal, and Panipat	15
3.	Borstal Institute and Juvenile Jail, Hisar	01
4	Jail Training School,Karnal	01
5.	Office of the District Probation Officers Ambala, Hisar, Rohtak, Karnal, Gurgaon, Jind, Bhiwani, and Sirsa.	08
	TOTAL	27

2. The total number of prisoners of all categories in jails and judicial lock ups of the state as on 01.04.2010was 15474.During the year,44,431 prisoners remained admitted in the jails at different point of time. At the end of the year14178 prisoners were lodged in all the jails in Haryana.

3. The number of convicts in Judicial Lockups were 5576 as on 01.04.2010. During the year, 4315 more prisoners who were convicted either by the courts in Haryana or came on transfer from other places were admitted in jails in Haryana. During the year 3556 convicts were discharged from jails and 6335 convicts remain lodged in jails at the end of the year. The number of High Security Class convicts lodged in Jails as on 01.04.2010 was 23. During the year, 11 High Security Class convicts were admitted and 16 such convicts were discharged. Thus at the end of year 2010-2011,18 High Security Class convicts remain lodged in all jails. The number of persons imprisoned in default of payment of fine was 20 as on 01-04-10. During the year, 667 more such convicts were admitted and 671were discharged. Thus 16 convicts on account of default in payment of fine remained lodged at the end of the year.

4. The number of undertrial prisoners as on 01.04.2010 was 9898. During the year, 40,116 more undertrial prisoners were admitted in jails. Out of total 50,014 undertrial prisoners, 42,171 were released on bail. A total of 7,843 undertrial prisoners remained lodged in jail sat the end of the year. 41 undertrial prisoners were transferred from jails in Haryana to other jails outside the State. 39 prisoners died in custody during the year. The undertrial prisoners had to stay in jails of Haryana on an average of 56 days.

5. Number of women prisoners in Jails of Haryana as on 01.04.2010 was 508. During the year, 1899 more women prisoners were admitted in Jails (direct or by transfer from other Jails). Out of them 1758 women prisoners were either released or transferred to other Jails. Therefore, number of women prisoners in all the jails at the end of the year was 649. 44 children depend on the women prisoners in all the jails was also lodged in jails along with them as on 01.04.2010. During the year, one child was born in the jail and 146 others came to Jail with women prisoners. 123 children were sent back from jails with the women prisoners. Thus, at the end of the year, 68 children remained admitted alongwith women prisoners in all the jails in Haryana.

6. During the year a sum of Rs. 83,28,44,000/- was spent on the protection, diet etc. of the prisoners. Thus per capita annual average expenditure was Rs. 58,741/- (Rs. 160.93 per prisoner per day).

7. During the year 2010-11, health of the prisoners remained satisfactory and due attention was paid towards the sanitation facilities inside the of Jails. T.B. patients were isolated and admitted in special wards. They were given suitable medical treatment. In order to improve the general sanitation, flush

latrines with under ground sewerage system were provided for the prisoners in all the jails of Haryana. Fans were provided in living barracks for the prisoners.

During the year under report, the standard of discipline in the jails was satisfactory. The details of incident of indiscipline which came to notice are as under: -

a)	Quarrels/Brawls	During the year 2010-11, there was one quarrel/brawl in Jails of the state.
b)	Hunger Strike	During the year 2010-11, no prisoner or undertrial resorted to hunger strike.
c)	Escape	During the year 2010-11, no prisoner escaped from the Jails of Haryana.
d)	Attack	During the year 2010-11, there was no case of attack by the prisoners.
e)	Offences	During the year 2010-11, the total number of Jail offences committed by the prisoners were 202, the details of which are as under:

Total number of offences committed by the prisoners for which they were sent to courts for appraisal.	2009-10	2010-11
1. Major Offences	1483	123
2. Minor Offences	651	79
Total	**2134**	**202**

248 prisoners undergoing life imprisonment were released pre-maturely and 3716 prisoners were released on parole/ furlough during the period under report. The prisoners are kept in the jails nearest to their home as far as possible. The prisoners whose conduct in jails was adjudged good and who were otherwise eligible as per jail mannual were awarded special remission as per the rules.

8. For mental and physical development of the prisoners, arrangements for lectures for spiritual and physical well being of the prisoner were made.

Arrangements for morning and evening prayers, prisoner meetings, radio programmes, indoor and outdoor games and practices of yoga had also been made. 519 lectures, 44 dramas and 203 cultural programmes were organized in the jails during the year under report. For the recreation of prisoners, television sets with cable connection have also been provided in Jails.

9. The details of production in the factories in jails are given in table below:-

Sr. No.	Name of Jails	2009-10	2010-11
1.	C.J. Ambala	22,90,896	25,17,600
2.	C.J. Hisar	8,47,324	11,48,367
3.	B.I.J. Hisar	-	49,451
4.	D.J. Rohtak	8,76,705	7,70,432
5.	D.J. Karnal	8,68,099	8,22,128
6.	D.J. Narnaul	16,553	43,214
7.	D.J. Bhiwani	4,07,660	1,14,639
8.	D.J. Gurgaon	21,647	1,04,308
	Total:	**53,28,884**	**55,70,139**

10. In the year 2010-11,171Asistant Superintendent/ Sub. Assistant Superintendent/ Head Warders and Warders were imparted training in the Jail Training School, Karnal. During the year 2010-11, 45 officers were imparted training in various other Institutions.

11. The prisoners were provided the facilities for purchasing commodities at reasonable rates for their personal use such as sugar, tea, gur, ghee, soap, oil etc. from the canteen opened in the Jails. These canteens have been opened in all the Central Jails/ District Jails and the Borstal Institution.

12. The Panchayat of the prisoners appointed in various jails gave full co-operation to the officers in distribution of ration and other goods. The prisoners were given training in industries and agricultural practices according to their choice by arranging training programme from time to time.

(P.K. Gupta)
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
Jails Department.

CRITIQUE

By the end of the year i.e. 31.03.2011 there was a provision for accommodation of 14751 prisoners in Haryana, whereas the number of prisoners at the end the year 2010-2011 was 14178. During this year the position of accommodation capacity as compared to the number of inmates was highly satisfactory. At present authorized accommodation of prison inmates is 14751 which is sufficient to cater to the prison inmates lodged in Haryana Jails. Capacity of District Jail Kaithal has been enhanced from 55 to 383 in the year 2011.

2. In the year 2010-11, no prisoners escaped from the Jails of Haryana. There was no case of any brawl in jails of the state. No prisoner was reported to have resorted to hunger strike during the year. There was no case of attack by the prisoners during the year.

3. In the year 2010-11 goods worth Rs. 55,70,139/- were produced in the industries being run in the jails as against production of Rs. 53,28,884/- during the year 2009-10. In the year 2010-11, 248 life term prisoners were released prematurerly. Keeping in view the welfare and family circumstances of the prisoners 3716 prisoners were released on parole/ furlough.

(P.K. Gupta)
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
Jails Department.

हरियाणा जेल विभाग की वर्ष 2010–11 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

वर्ष 2010–11 में निम्नलिखित संस्थायें जेल विभाग के अधीन कार्यरत रहीः–

1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला एवं हिसार	☞	02
2.	जिला जेल रोहतक, करनाल, गुड़गांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरूक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल, कैथल, यमुनानगर फरीदाबाद, पलवल एवं पानीपत	☞	15
3.	बोस्टल संस्था एवं जुवनाईल जेल, हिसार	☞	01
4.	जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल	☞	01
5.	जिला परिवीक्षा अधिकारी सिरसा, भिवानी, करनाल, गुड़गांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार।	☞	08
	कुल	☞	27

2. राज्य की सभी जेलों तथा ज्यूडिशियल लोकअप में सभी श्रेणियों के बन्दियों की संख्या 01.04.2010 को 15,474 रही। वर्ष के दौरान 44,431 बन्दी विभिन्न समय पर जेलों में दाखिल हुए। वर्ष के अन्त में हरियाणा राज्य की जेलों में 14,178 बन्दी शेष रह गये।

3. सिद्ध दोषियों की संख्या 01.04.2010 को 5,576 थी। वर्ष भर में 4,315 सिद्धदोषी न्यायालयों से सजा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदल कर हरियाणा की जेलों में दाखिल किये गये। वर्ष के दौरान 3,556 बन्दी जेलों से छोडे गये । इस प्रकार वर्ष के अन्त में कुल 6,335 सिद्व द्वोषी जेलों में रह गये। दिनांक 01.04.2010 को उच्च श्रेणी के दोषियों की संख्या 23 रही तथा वर्ष के दौरान 11 बन्दी और दाखिल हुए और इनमें से 16 छोड़े गये । वर्ष 2010–2011 के अन्त में 18 बन्दी शेष रहे गये । राज्य की जेलों मे जुर्माना न देने के तहत कैद हुये दोषियों की संख्या 01.04.2010 को 20 थी और वर्ष के दौरान जेलों में 667 बन्दी ओर दाखिल हुए और इनमें से 671 छोड़े गये। वर्ष के अन्त में जुर्माना न देने के तहत वाले 16 बन्दी जेलों में शेष रह गये।

4 विचाराधीन बन्दियों की संख्या 01.04.2010 को 9,898 थी। इस वर्ष जेलो में 40,116 विचाराधीन बन्दी दाखिल हुये । कुल 50,014 विचाराधीन बन्दियों में से 42,171 विचाराधीन बन्दी बेल पर रिहा किया गया और वर्ष के अन्त में 7,843 विचाराधीन बन्दी जेल में शेष रहे गये । 41 बन्दियों को राज्य की जेलों से अन्य राज्यों की जेलों पर बदला गया । वर्ष के दौरान जेलों में 39 बन्दियों की मृत्यु हुई। विचाराधीन बन्दियों को औसतन 56 दिन जेल मे रहना पड़ा।

5 हरियाणा की जेलों में दिनांक 01.04.10 को स्त्री बन्दियों की संख्या 508 थी। वर्ष के दौरान 1899 स्त्री बन्दी जेलों में सीधे या दूसरे राज्यों की जेलो से बदल

कर आये । 1,758 स्त्री बन्दियों को रिहा किया या दूसरे राज्यो की जेलों में भेजा गया इसलिये वर्ष के अन्त में स्त्री बन्दियों की संख्या 649 थी। दिनांक 01.04.2010 को जेलों में स्त्री बन्दियों के साथ 44 बच्चे थे और वर्षभर में जेलों में 01 बच्चा पैदा हुआ, और 146 अन्य बच्चे स्त्री बन्दियों के साथ जेलों में आये और 123 बच्चों को स्त्री बन्दियों के साथ जेल से छोड़े गये। वर्ष के अन्त में कुल 68 बच्चे स्त्री बन्दियों के साथ रह गये।

6. बन्दियों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में वर्ष भर में 83,28,44,000/– रूपये खर्च किये गये । इस प्रकार प्रति बन्दी औसतन खर्चा 58,741/– रूपये हुआ (160 रूप्ये 93 पैसे प्रति बन्दी प्रति दिन)।

7. बन्दियों का स्वास्थ्य 2010–11 वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा तथा जेलों में सफाई व शौचालय सुविधायें प्रदान की गई, तपेदिक रोगियों को अलग व स्पेशल वार्ड में रखा गया तथा उनके लिये उचित चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया । जेलों में सामान्य स्वच्छता में सुधार हेतू बन्दियों के लिये भूमिगत सीवरेज तथा शौचालयों का प्रबन्ध किया गया । बीमारियों से बचने के लिये विभिन्न साधन जुटाये गये व सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। बन्दियों की बैरकों के स्थान में बिजली के पंखे लगाये हुऐ है। वर्ष के दौरान जेलों में अनुशासन का स्तर सन्तोषजनक रहा । बन्दियों की अनुशासनहीनता का ब्यौरा, निम्न प्रकार से है :–

क)	झगडे के मामले	–	वर्ष भर में राज्य की सभी जेलों पर एक उपद्रव हुआ।
ख)	भूख हड़ताल	–	वर्ष 2010–11 में हरियाणा की जेलों में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल नहीं की।
ग)	फरारी	–	वर्ष 2010–11 में हरियाणा की जेलों से कोई बन्दी फरार नहीं हुआ ।
घ)	आक्रमण	–	वर्ष 2010–11 में बन्दियों द्वारा कोई आक्रमण नहीं हुआ।
ड)	अपराध	–	वर्ष 2010–11 में बन्दियों द्वारा 202 जेल अपराध किये, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

		2009–10	2010–11
1.	कुल अपराध जिसके लिए बन्दियों को अदालत में अप्रैजल के लिये भेजा गया।	2134	202
2.	कठोर अपराध	1483	123
3.	लघु अपराध	651	79
	कुल अपराध	**2,134**	**202**

248 आजीवन कारावास बन्दियों को समय से पूर्व रिहा किया गया तथा 3716 बन्दियों को इस वर्ष के दौरान पैरोल/फर्लो पर रिहा किया गया। जहां तक संभव हो सका बन्दियों को उनके घर के नजदीक की जेलों में रखा जाता हैं। जिन बन्दियों ने अच्छा कार्य किया तथा जो बन्दी जेल मैनुअल के अनुसार माफी के पात्र थे उन्हे विशेष माफी नियमानुसार दी गई ।

8. मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिये आध्यात्मिक और शारीरिक विषयों पर प्रवचन दिलवाने का प्रबन्ध करवाया गया। प्रातः व सांय काल प्रार्थना सभाओं, बन्दी सभाओं, रेडियों, खेलों के अतिरिक्त योगाभ्यास का प्रबन्ध भी किया गया। इस वर्ष 519 व्याख्यान, 44 ड्रामें और 203 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये। बन्दियों के मनोरंजन के लिये सभी जेलों में टेलीविजन सैट भी लगाये हुयें है।

9. जेलों में तैयार किये गये माल के मूल्य का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

क्रम संख्या	जेल का नाम	वर्ष 2009–10 में हुआ उत्पादन	वर्ष 2010–11 में हुआ उत्पादन
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	22,90,896	25,17,600
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	8,47,324	11,48,367
3.	बच्चा जेल, हिसार	-	49,451
4.	जिला जेल, रोहतक	8,76,705	7,70,432
5.	जिला जेल, करनाल	8,68,099	8,22,128
6.	जिला जेल, नारनौल	16,553	43,214
7.	जिला जेल, भिवानी	4,07,660	1,14,639
8.	जिला जेल, गुड़गांव	21,647	1,04,308
	कुल जोड़	**53,28,884**	**55,70,139**

10. जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल में 2010–11 में 171 सहायक अधीक्षक/उप सहायक अधीक्षक/हैड वार्डरज तथा वार्डरज को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2010–11 मे 45 अधिकारियों को अलग–अलग अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया गया।

11. बन्दियों को उचित मूल्य पर जेलों की कैन्टीनों में दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, गुड़, घी, साबुन, तेल इत्यादि की खरीद की सुविधा दी गई है । ये कैन्टीन सभी केन्द्रीय कारागारों, ज़िला कारागारों, बोस्टल संस्था तथा बच्चा जेल में हैं।

12. भिन्न भिन्न जेलों में नियुक्त की गई बन्दियो की पंचायतों ने राशन और खाने के वितरण में अधिकारियों को पूर्ण सहयोग दिया। समय-2 पर बन्दियों को उनकी रूचि के अनुसार उद्योग तथा आधुनिक कृषि के अभ्यास का प्रशिक्षण दिया गया ।

(पी0 के0 गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, जेल विभाग,
हरियाणा।

समालोचना

वर्ष के अन्त में 31-03-2011 तक हरियाणा में 14,751 बन्दियों को रखने का प्रबन्ध था जबकि वर्ष के अन्त में बन्दियों की संख्या 14,178 थी। इस वर्ष जेल में अधिकृत क्षमता तथा बन्दियों की संख्या को मध्यनजर काफी संतोषजनक थी। वर्तमान में हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों की अधिकृत क्षमता 14,751 की है जोकि वर्तमान में बन्दियों की गिनती अनुसार प्रर्याप्त है । वर्ष 2011 में कैथल जेल की क्षमता भी 55 से बढ़ कर 383 हो गई है ।

2. वर्ष 2010-11 में जेलों से कोई बन्दी फरार नहीं हुआ । पूरे वर्ष राज्य की सभी जेलों में कोई झगड़े का मामला नहीं हुआ। वर्ष भर बन्दियों द्वारा कोई आक्रमण नहीं हुआ पूरे वर्ष में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल भी नही की।

3. वर्ष 2010-11 में रूपये 55,70,139 के मूल्य का माल जेलों की उद्योगशालाओं मे तैयार किया गया जबकि वर्ष 2009-10 में 53,28,884/- रूपये का माल तैयार हुआ था। वर्ष 2010-11 के दौरान, 248 बन्दियों को उनकी सजा की रिहाई की शर्तों को पूर्ण करने उपरान्त समय से पूर्व रिहा किया गया। बन्दियों की भलाई तथा पारिवारिक हित को ध्यान में रखते हुए 3716 बन्दियों को पैरोल/फर्लो पर छोड़ा गया।

(पी0 के0 गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, जेल विभाग,
हरियाणा।

हरियाणा जेल विभाग की वर्ष 2010–11 की
वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय–1

1. **प्रस्तावना :–**

जेल विभाग का 1.4.2010 से 31.3.2011 तक का कार्यभार निम्नलिखित के पास रहा:–

श्री रंजीव दलाल, आई0पी0एस0

9.3.2010 से 9.5.2010

श्री राकेश मलिक, आई0पी0एस0

9.5.2010 से 31.3.2011

निम्नलिखित अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में उनकी सहायता की :–

1. श्री सुधीर मोहन, आई0पी0एस0
   महानिरीक्षक कारागार हरियाणा ।
   दिनांक 10.5.2010 तक ।

2. डा0 के0पी0 सिंह, आई0पी0एस
   महानिरीक्षक कारागार हरियाणा ।
   दिनांक 10.5.2010 से ।

3. श्री जगजीत सिंह, अपर महानिरीक्षक
   कारागार दिनांक 10.3.2011 से ।

1. श्री हरीश कुमार,
   मुख्य परिवीक्षा अधिकारी ।

2. श्री वी0के0 जाम्ब,
   मुख्य लेखा अधिकारी ।

3. श्री कर्म चंद सैनी,
   लेखा अधिकारी ।

4. श्री जे0एस0 गिल,
सहायक जिला न्यायवादी ।

5. श्री ब्रिज बिहारी, कार्यालय अधीक्षक

6. श्री दौलत राम, कार्यालय अधीक्षक

7. श्री लखबीर बराड,
उप अधीक्षक, जेल हैडक्वार्टर

8. श्री वरिन्द्र लाम्बा,
उप अधीक्षक जेल मुख्यालय में

1. श्री ललित कुमार, लेखा अधिकारी

2. **संस्थायें :–**

जेल विभाग के अधीन निम्नलिखित संस्थायें हैं :–

1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार	02
2.	जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुड़गांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरूक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल कैथल, यमुनानगर फरीदाबाद, पलवल एवं पानीपत ।	15
3.	बोस्टल संस्था एवं जुवनाईल जेल, हिसार	01
4.	जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल	01
5.	जिला परिवीक्षा अधिकारी, सिरसा, भिवानी, करनाल, गुड़गांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार।	08
	कुल जोड़	27

3. **बन्दियों में अनुशासन व उनका आचरण :–**

कुल मिलाकर बन्दियों में अनुशासन का स्तर संतोषजनक रहा। यह बात निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध होती है :–

क)	उपद्रव	–	वर्ष भर में राज्य की सभी जेलों पर कोई उपद्रव नहीं हुआ।
ख)	भूख हड़ताल	–	वर्ष 2010–11 में हरियाणा की जेलों में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल नहीं की।
ग)	फरारी	–	वर्ष 2010–11 में हरियाणा की जेलों से कोई बन्दी फरार नहीं हुआ ।
घ)	आक्रमण	–	वर्ष 2010–11 में बन्दियों द्वारा कोई आक्रमण नहीं हुआ।
ड़)	अपराध	–	वर्ष 2010–11 में अपराधों की कुल संख्या 202 थी जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

		2009–10	2010–11
1.	कुल अपराध जिसके लिए बन्दियों को अदालत में अप्रेजल के लिये भेजा गया ।	2,134	202
2.	कठोर अपराध	1,483	123
3.	लघु अपराध	651	79
	कुल अपराध	2,134	202

4. **सुधार तथा सुविधायें :–**

वर्ष 2010–11 में जेलों में किए गए सुधार तथा सुविधाएं संतोषजनक रही । बन्दियों के साथ अच्छा तथा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया गया जिसका उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।

क. **पैरोल/फरलो :–**

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बन्दियों को निजी तथा जरूरी कार्यों के लिए पैरोल/फरलो लेने के लिए देरी न हो तथा कष्ट न उठाना पड़े, इस प्रणाली में बहुत हद तक सुधार किया गया है। अब केवल पहली छुट्टी के लिए ही पुलिस की रिपोर्ट ली जाती है। इसके पश्चात केवल जिलाधीश से विचार–विमर्श किया जाता है। पैरोल/फरलो स्वीकृत करने की शक्तियां सरकार की नोटिफिकेशन दिनांक 30.7.2007 के अनुसार मण्डल आयुक्त एवं उपायुक्त को प्रदान कर दी गई थी ।

ख. **समय पूर्व रिहाई :–**

हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई करने बारे नीति को अपने यादी कमांक 46/23/2000–4जेजे–।। दिनांक 12.04.02 द्वारा

संशोधित किया था। इस नीति के अनुसार अनेक आजीवन कारावास बन्दियों के समय पूर्व रिहाई के केसों पर उन द्वारा हवालात में 10 वर्ष का मूलदण्ड काटना तथा कम से कम 4 वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता था। जिन बन्दियों द्वारा जघन्य/घिनौना अपराध किया तथा जिन बन्दियों की मृत्यु दण्ड की सजा को माननीय राष्ट्रपति महोदय/माननीय राज्यपाल द्वारा करूणा याचिका पर आजीवन कारावास में बदला गया है, के समय पूर्व रिहाई के केसों पर उन द्वारा हवालात में 14 वर्ष का मूलदण्ड काटने तथा कम से कम छः वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता था । हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई करने बारे पुरानी नीति दिनांक 12.4.2002 को अपने यादी क्रमांक 36/135/91-1जेजे-।। दिनांक 13.08.08 द्वारा नई नीति का निर्धारण किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा हरियाणा सरकार बनाम जगदीश की रिट पैटीशन में पारित आदेश 22.3.2010 जोकि क्रिमिनल अपील नम्बर 566 आफ 2010 (Arising out of SLP) Crl. Mic. No. 6638 of 2009 में पारित को ध्यान में रखते हुये बन्दियों के समयपूर्व रिहाई के केसिज का निर्णल लेने हेतू उनकी सजा की तिथि के समय से जो पालिसी लागू होती है, उस बन्दी का समयपूर्व रिहाई केस उस पालिसी के अनुसार निर्णय लिया जाए के आदेश पारित किये गये थे । यथानुसार वर्ष 2010-11 में 248 आजीवन कारावास बन्दियों को उनके अच्छे आचरण को देखते हुये सरकार की पालिसी अनुसार समय पूर्व रिहा किया गया ।

ग. बन्दियों की बदली :-

कई बन्दियों के रिश्तेदारों तथा मित्रों को मुलाकात करने में वित्तीय तथा सामाजिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसको ध्यान में रखते हुए अब बन्दियों को जहां तक सम्भव हो उनके घर के नज़दीक की जेलों में रखा जाता है, ताकि उनके परिवार वाले तथा मित्र बन्दियो से आसानी से मिल सकें।

घ. कैन्टीन :-

केन्द्रीय जेल अम्बाला/हिसार, जिला जेलों तथा बोस्टल जेल में बन्दियों के लिए कैन्टीन चालू हैं। बंदीगण वहां से उचित दामों पर प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं जैसे चीनी, घी, चाय तथा गुड़ आदि खरीद सकते हैं। इस सुविधा से जेलों में अनाधिकृत वस्तुओं पर पूरा नियन्त्रण रहा है।

ड़ बन्दी पंचायतें :-

भिन्न-2 कारागारों में बन्दियों द्वारा नियुक्त की गई पंचायतों ने राशन और खाने के वितरण में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग दिया।

च छूट :-

जिन बन्दियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है तथा जिनका आचरण संतोषजनक पाया गया उन्हें विशेष छूट दी गई।

छ पंखे :-

बन्दियों को बैरकों में पखें लगवा दिए हैं ताकि गर्मी के मौसम में उन्हें आराम मिल सके।

ज नल :-

कुल मिलाकर पीने के पानी का प्रबन्धक संतोषजनक रहा।

झ गन्दे पानी का निकास :-

इसका प्रबन्ध संतोषजनक रहा। अम्बाला, हिसार तथा रोहतक में गन्दे पानी को सिंचाई के काम में लाने की व्यवस्था है।

ट फलश टाईप शौचालय :-

सभी जेलों पर फलश टाईप शौचालयों का प्रबन्ध किया गया है तथा गन्दे पानी का निकास जमीन के अन्दर करने का प्रबन्ध किया गया है ।

ठ बन्दियों का मनोरंजन :-

बन्दियों के मनोरजन के लिए जेलों में रेडियो/टेलिविज़न सैट लगवा दिए गए हैं। जिनसे दूरदर्शन तथा अन्य कार्यक्रम देखे जा सकते हैं।

5. भौतिक तथा नैतिक शिक्षा का प्रबन्ध :-

भौतिक तथा नैतिक सुधार के लिए भिन्न-2 कारागारों में कई प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। जैसे कि खेलों सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक विषयों पर व्याख्यान, प्रातः तथा सायं की प्रार्थना सभाएं, रेडियो प्रोग्राम इत्यादि हैं। प्रतिदिन टैलिविज़न शौ भी दिखाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जेल अधिकारियों और पब्लिक द्वारा 519 व्याख्यान, 44 ड्रामें तथा 203 रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किये गये।

6. वार्डर गार्द :-

अब केवल वार्डर गार्द का एक ही हैडक्वार्टर, केन्द्रीय जेल अम्बाला में है। इस विभाग की स्वीकृति संख्या इस प्रकार है :-

मुख्य वार्डर		255
वार्डर	.	2368
मैटरन	.	47
महिला वार्डर	.	138

कुल मिलाकर वार्डरों में अनुशासन संतोषजनक रहा।

7. **जेल निरीक्षण :–**

माननीय व्यक्तियों, उच्च पदाधिकारियों तथा गैर सरकारी जेल दर्शकों द्वारा विभिन्न जेलों के निरीक्षण का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

❖	माननीय मुख्य मंत्री /मंत्रीगण	3
❖	उच्च न्यायालय के न्यायधीश	25
❖	आयुक्त	3
❖	जिला एवं सैशन जज	193
❖	उपायुक्त	30
❖	महानिदेशक कारागार/अपर महानिरीक्षक जेल	57
❖	गैर सरकारी दर्शक तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों	291

8 **चौकसी से सम्बन्धित तथ्यों बारे :–**

चौकसी विभाग की ओर से वर्ष 2010–11 में किसी अधिकारी/कर्मचारी को कोई सजा नहीं दी गई ।

अध्याय –2

उद्योग

1. वित्त वर्ष 2010–11 में बन्दियों को फैक्टरी में काम पर लगाए जाने की संख्या 1326 थी।

2. वित्त वर्ष 2010–11 में कुल उत्पादन रूपये 55,70,139 का हुआ एवं वित्त वर्ष 2009–10 मे कुल उत्पादन रूपये 53,28,884/–का रहा जो पिछले वित्त वर्ष से 2,41,255/–अधिक रहा ।

3. अलग–2 जेलों का उत्पादन निम्न सारणी में दर्शाया गया है:–

क्रम संख्या	जेलों का नाम	वर्ष 2009–10 में हुआ उत्पादन	वर्ष 2010–11 में हुआ उत्पादन
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	22,90,896	25,17,600
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	8,47,324	11,48,367
3.	बच्चा जेल हिसार	-	49,451
4.	जिला जेल रोहतक	8,76,705	7,70,432
5.	जिला जेल करनाल	8,68,099	8,22,128
6.	जिला जेल, नारनौल	16,553	52,366
7.	जिला जेल भिवानी	4,07,660	1,14,639
8.	जिला जेल गुडगांव	21,647	1,04,308
	कुल जोड़	**53,28,884**	**55,70,139**

4. वर्ष 2010–11 में प्रति व्यक्ति उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है । उसमें विभिन्न जेल उद्योगों में लगाए गए व्यक्ति की औसत संख्या, प्रति व्यक्ति उत्पादन दिया गया है, जिससे पता चलता है कि कितनी प्रगति हुई:–

क्रम संख्या	जेलों का नाम	वर्ष 2010–11 में प्रति दिन बन्दियों की संख्या	वर्ष 2010–11 में प्रति बन्दी उत्पादन
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	3	2681
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	5	734
3.	बच्चा जेल, हिसार	10	16
4.	जिला जेल, रोहतक	21	117
5.	जिला जेल, करनाल	30	88
6.	जिला जेल, नारनौल	10	14
7.	जिला जेल, भिवानी	13	28
8.	जिला जेल, गुड़गांव	1	333
	कुल जोड़	**93**	**4011**

5. निम्नलिखित विवरण रिपोर्ट में वर्ष 2010–11 में तथा इससे पूर्व वर्ष 2009–10 तक निम्नलिखित जेलों में जेल विभाग मे बिक्री का ब्यौरा :–

क्रम स0	जेलों का नाम	वर्ष 2009–10 में हुई बिक्री	वर्ष 2010–11 में हुई बिक्री
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	10,06,269	-
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	5,59,976	6,35,089
3.	बच्चा जेल, हिसार	21,517	50,023
4.	जिला जेल, रोहतक	8,63,519	2,05,410
5.	जिला जेल, करनाल	7,91,350	8,05,398
6.	जिला जेल, गुड़गांव	2,35,147	97,097
7.	जिला जेल, भिवानी	51,617	1,04,729
8.	जिला जेल, नारनौल	0	10,800
	कुल जोड़	**35,29,395**	**19,08,546**

जेल विभाग, दूसरे सरकारी विभागों तथा प्राईवेट व्यक्तियों से की गई बिक्री का ब्यौरा:–

क्रम स0		वर्ष 2009–10	वर्ष 2010–11
1.	जेल विभाग के लिये की गई बिक्री	35,29,395	19,08,546
2.	दूसरे सरकारी विभागो को की गई बिक्री	20,26,565	7,07,736
3.	प्राईवेट विभागों को की गई बिक्री	8,18,379	-
	कुल जोड़	**63,74,339-00**	**26,16,282**

क्रम स0	जेल का नाम	सरकारी विभागों को की गई बिक्री	जेल विभाग को की गई बिक्री	प्राईवेट विभाग को की गई बिक्री
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	.		..
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	5,48,759	6,35,089	...
3.	बच्चा जेल, हिसार		50,023	...
4.	जिला जेल, रोहतक	12,729	2,05,410	..
5.	जिला जेल, करनाल	44,197	8,05,398	..
6.	जिला जेल, नारनौल	43,214	10,800	..
7.	जिला जेल, भिवानी	58,927	1,04,729	..
8.	जिला जेल, गुड़गांव		97,097	..
9.	जिला जेल, कुरूक्षेत्र	.		..
	कुल जोड़	**7,07,836**	**19,08,546**	..

6. निम्नलिखित विवरण रिपोर्ट में वर्ष 2010–11 तथा इससे पूर्व वर्ष 2009–10 में निम्न जेलों द्वारा वसूली का ब्यौरा:–

क्रम स0	जेलों का नाम	वर्ष 2009–11 में हुई वसूली	वर्ष 2010–11 में हुई वसूली
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	17,01,817	1,00,84,022
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	6,57,817	11,83,848
3.	बच्चा जेल, हिसार	9,480	50,023
4.	जिला जेल, रोहतक	14,08,564	5,58,634
5.	जिला जेल, करनाल	18,320	9,79,644
6.	जिला जेल, गुड़गांव	4,89,739	97,097
7.	जिला जेल, भिवानी	8,07,323	3,98,168
8.	जिला जेल, महेन्द्रगढ़	0	.
9.	जिला जेल, नारनौल	16,553	53,120
	कुल जोड़	**51,09,613**	**1,34,04,556**

जेलों द्वारा जो माल तैयार किया जाता है वह अन्य विभागों को उनकी मांग अनुसार सप्लाई किया जाता है।

7. **(कृषि फार्म)**

वित्त वर्ष 2010–2011 में जेल कृषि फार्म पर कुल खर्चा रूपये 29,99,373 किया गया तथा कृषि फार्म से कुल उत्पादन रूपये 75,55,480 का हुआ । इस प्रकार कृषि फार्म से वर्ष भर में कुल आय रूपये 45,56,107 हुई । जिस का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम स0	जेल का नाम	कुल खर्चा रूपये में	कुल उत्पादन रूपये में	कुल आय रूपये में
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	1,26,310	3,30,642	2,04,332
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	58,779	2,37,990	1,79,211
3.	जिला जेल, रोहतक	49,045	255,926	2,06,881
4.	जिला जेल, करनाल	13,55,481	43,04,115	29,48,634
5.	जिला जेल, भिवानी	2,58,680	6,39,319	3,80,639
6.	जिला जेल, सोनीपत	2,87,670	5,61,025	2,73,355
7.	जिला जेल, जीन्द	3,29,212	5,21,124	1,91,912
8.	जिला जेल, सिरसा	1,35,424	1,57,747	22,323
9.	जिला जेल पानीपत	3,98,772	5,47,592	14,8820
	कुल जोड़	**29,99,373**	**75,55,480**	**45,56,107**

8. **कपड़ा :–**

हरियाणा राज्य की जेलो में बन्दियों के लिए कपड़े की मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय जेल अम्बाला में एक पावरलूम (हैवी ड्यूटी) स्थापित है जो कि संतोषजनक ढ़ग से कार्य कर रही है। जिला जेल भिवानी पर भी दो पावर लूम स्थापित हैं जिन पर बन्दियों हेतू कपड़ा बनाया जा रहा है। बोस्टल जेल हिसार तथा भिवानी जेलों पर हथकरघा से भी कपड़ा बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मशीनों के झांडन/बस्ताज/कार्यालय के लिए पर्दे/तौलिये/हस्पताल के लिए बिस्तरे भी बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार बन्दियों के लिए इन मशीनों से उपरोक्त वस्तुओं की मांग सूचारू रूप से पूरी की जा रही है।

केन्द्रीय जेल, अम्बाला के बन्दियों को तथा बोस्टल जेल, हिसार के बन्दियों को विशेष रूप से स्त्री बन्दियों को जुराबें बुनने की ट्रेनिंग देने हेतू दोनों जेलों पर सोक्स निटिंग मशीनों की स्थापना हो चुकी है। अतः इन बन्दियों को ट्रेनिंग देने के लिए फिलहाल जिला रोज़गार कार्यालय के माध्यम से इन्सट्रक्टर नियुक्त करवाये जा रहे हैं और इस प्रकार बन्दियों को जुराबें बुनने की ट्रेनिंग दी जायेगी। इससे विभाग के वार्डर गार्द की जुराबों की मांग को पूरा होने के साथ–साथ पुलिस विभाग/गृह रक्षी विभाग तथा हरियाणा राज्य के अन्य विभागों की जुराबों की मांग को पूरा किया जा सकेगा।

इस प्रकार जहां बन्दी अपनी सज़ा काटते हुए विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग लेकर पूरी तरह निपुण होकर जेल से बाहर जायेंगें, वहां ये आत्म निर्भर बनकर समाज के अन्दर एक अच्छा जीवन जी सकने योग्य बन जायेंगें। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

अध्याय –3

विशेष संस्थायें

1. जेल ट्रेनिंग स्कूल करनाल

करनाल स्थित जेल ट्रेनिंग स्कूल में हरियाणा जेल विभाग तथा राज्यों के कर्मचारियों/अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध है। इस स्कूल में वार्डर तथा हैड वार्डरों, उप सहायक अधीक्षक के साथ–2 अधीक्षक, उप अधीक्षक तथा सहायक अधीक्षक के स्तर तक के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध है। इस संस्था में जेल मैनुअल, कारागार, प्रशासन, कानून, क्रिमिनालोजी, साईकोलोजी, शारीरिक प्रशिक्षण, मिलिट्री ड्रिल, तथा कैदियों के सुधार तथा उद्योग–धन्धों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध है। प्रशिक्षण मे कैदियों में सुधार के साथ–2 अभ्यस्थ और खतरनाक कैदियों के सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

हरियाणा राज्य के जेल अधिकारी तथा कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी अधिक कुशलता से निभा सकें, इसलिये उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है ।

2. स्त्रियों के लिए कारागार :–

हरियाणा में 1976 में स्त्रियों के लिए अलग कारागार नहीं थी। बंदी स्त्रियों को केन्द्रीय जेल अम्बाला में एक अलग भाग में रखा जाता था । यह प्रबन्ध पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। इसके लिए हिसार में अलग से भवन निर्माण किया गया और स्त्रियों की अलग देख–भाल के लिए अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, मैटरन व महिला प्रहरी भी नियुक्त हैं।

वर्ष 2010–11 में जेल में हुई भर्ती स्त्रियों की संख्या तथा उनकी/रिहाई का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है:–

1.4.2010 को स्त्री कैदियों की संख्या	सीधे/बदली द्वारा जेल में आये स्त्री बन्दियों की संख्या	मुक्त किए गए/बदली किए स्त्री बन्दियों की संख्या	31.3.2011 को स्त्री बन्दियों की संख्या
508	1,899	1,758	649

वर्ष 2010–11 में हरियाणा की सभी जेलों में सभी प्रकार की औरतों की दैनिक औसत संख्या 638 थी। बन्दियों के कपड़ों की मुरम्मत के लिए/कुछ और कार्य जैसे सिलाई/कढ़ाई आदि का भी प्रबन्ध किया गया।

3. छोटे बच्चों का विवरण :–

जो शिशु बन्दी औरतों के साथ जेल में आये उनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

1.	01.04.2010 को बच्चों की संख्या	44
2.	01.04.2010 से 31.03.2011 तक जेल में पैदा हुए बच्चे	1
3.	01.04.2010 से 31.03.2011 तक भर्ती हुए बच्चों की संख्या	146
4.	छोड़े गए बच्चों की संख्या	123
5.	शेष 31.03.2011 को संख्या	68
1.	छः मास तक के बच्चों की संख्या	04
2.	छः मास से एक साल तक के बच्चों की संख्या	11
3.	एक साल से 3 साल तक के बच्चों की संख्या	24
4.	3 साल से 5 साल तक के बच्चों की संख्या	28
5.	5 साल से उपर के बच्चों की संख्या	1
	कुल	**68**

4. बोस्टल संस्था एवं बच्चा जेल हिसार :–

हरियाणा की एक मात्र जेल है, जो कि आधुनिक ढंग की है। इसमें किशोर बन्दियों के लिए खेल–कूद उद्योग सिखाने, स्कूल, हसपताल आदि का प्रबन्ध है।

वर्ष 2010–11 में इस संस्था में निम्न किशोर बन्दियों को रखा गया है। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :–

		आई.पी.सी के अधीन सिद्ध दोषी	बोस्टल एक्ट के अधीन कैदी
1.	वर्ष के शुरू में संख्या	15	.....
2.	कितने वर्ष भर में दाखिल हुए	.....	.....
	जोड़	**15**	.....

1.	जिनकी बदली दूसरी जेलों की गई		.....
2.	अपील पर रिहाई	.	.....
3.	सरकार के आदेश अनुसार रिहाई		.....
4.	जमानत पर रिहाई	.	.....
5.	कैद की समाप्ति पर रिहाई	7	.....
6.	भगौड़े कैदियों की संख्या		.....
7.	कैद से छूट आदि मिलने पर रिहाई		.....
8.	मरे हुए कैदियों की संख्या		.....
9.	अन्य कारणों से		.....
	जोड़	7	.....
	वर्ष के अन्त में शेष कैदी	8	

इस संस्था में ऐसे किशोर बन्दियों को जिनको न्यायालय से सज़ा मिलती है और उनकी आयु 21 वर्ष से कम होती है, रखने का प्रबन्ध है। इस प्रकार इस संस्था का उद्देश्य किशोर बन्दियों के पूर्व जीवन और आचरण के कारणों का पता लगाना है। साथ ही उनको सभ्य नागरिक और कानून का आदर करने वाले शहरी बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए उनके मानसिक सुधार, उद्योग तथा कामकाज़ की ट्रेनिंग आधुनिक खेती–बाड़ी के ढ़ंग सिखाने का प्रबन्ध किया जाता है। इन नौजवानों को नशीली चीज़ों से दूर रखने तथा पढ़ाई लिखाई आदि का महत्व भी सिखाया जाता है। इससे उनके सुधार और रिहाई के बाद अच्छे नागरिक के तौर पर अपनी जीविका कमाने में सहायता मिलती है । इस संस्था में प्राथमिक स्कूल से हाई स्कूल तक की पढ़ाई का प्रबन्ध किया गया है। साथ ही उच्च शिक्षा की पढ़ाई में बैठने का प्रबन्ध किया जाता है।

5. शारीरिक ट्रेनिंग तथा नैतिक ट्रेनिंग :–

दूसरे कार्यक्रमों के साथ–2 किशोर बन्दियों की शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा की ओर भी ध्यान रखा जाता है । उन्हें ड्रिल, जिमनास्टिक तथा यौगिक अभ्यास प्रशिक्षण ड्रिल इन्सट्रक्टर द्वारा करवाया जाता है। साथ ही बासकिट बाल, कबड्डी आदि क्रीड़ाओं का भी प्रबन्ध है। बन्दियों को स्काउट, प्राथमिक चिकित्सा और आग बुझाने का काम सिखाया जाता है। इस प्रकार नैतिक विचारों पर जैसे सत्य, अहिंसा, परिश्रम, परस्पर सहयोग, आदि विषयों पर स्टाफ तथा दूसरे पब्लिक कार्यकर्ताओं द्वारा व्याखानों का प्रबन्ध किया जाता है।

6. मनोरंजन :–

किशोर बन्दियों के मनोरंजन के लिए ड्रामों, हास्य नाटकों तथा रंगा–रंग कार्यक्रमों में ड्रामेटिक क्लब द्वारा प्रबन्ध किया जाता है। उनके मनोरंजन के लिए टी0 वी0 का प्रबन्ध है। लोक सम्पर्क विभाग हरियाणा द्वारा चलचित्र और ड्रामें भी दिखाये जाते हैं। इससे उनके दैनिक विषयों पर ज्ञान बढता है।

7. भवन तथा स्थान :–

इस समय हरियाणा में निम्नलिखित जेलें हैं:–

1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार	02
2.	जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुड़गांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरूक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल, कैथल, यमुनानगर, पलवल, पानीपत एवं फरीदाबाद	15
3.	बोस्टल संस्था एवं जुवनाईल जेल, हिसार	01
	कुल जोड़	**18**

सभी कारागारों में कुल 14751 कैदियों को रखने का स्थान है।

अध्याय –4

1. बंदी संख्या :–

हरियाणा की जेलों में कैदियों की संख्या 01.04.2010 को 15,474 थी और यह संख्या 31.03.2011 को 14,178 रह गई। वर्ष भर में बन्दियों की औसत संख्या 14,182 थी।

2. बन्दियों का प्रवेश तथा निकास

क. सिद्धदोषियों की संख्या 1.4.2010 को 5,576 थी। वर्ष भर 4,315 सिद्धदोषियों को न्यायालयों से सज़ा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदलकर हरियाणा राज्य की जेलों में आयें और 3,556 बन्दियों की रिहाई के बाद 31.3.2011 को कुल 6,335 सिद्धदोषी जेल में शेष रहे।

ख. सिद्धदोषियों की औसत दैनिक संख्या 1.4.2010 से 31.3.2011 तक 4,517 थी। सभी प्रकार के बन्दियों की अधिकतम संख्या 14,182 थी ।

ग. उच्च सुरक्षा श्रेणी के दोषी :–

उच्च सुरक्षा श्रेणी के दोषियों के प्रवेश तथा भुगतान का विवरण इस प्रकार है :–

1.4.2010 को	वर्ष भर में प्रवेश	छोड़े गए	31.3.2011 को शेष
23	11	16	18

घ. **नज़रबंद :–** पूरे वर्ष में कोई दोषी नजरबंद नहीं रहा ।

1.4.2010 को	वर्ष भर में प्रवेश	छोड़े गए बन्दी	31.3.2011 को शेष
.....	.	.	.....

ङ **जुर्माने के बदले में दोषी :–**

जुर्माने के बदले में कैद हुए दोषियों का विवरण नीचे दिया जाता है :–

1.4.2010 को गणना	वर्ष भर में प्रवेश	वर्ष भर में छोड़े गए	31.3.2011 को शेष
20	667	671	16

च. **बच्चे :–**

नियमों के अनुसार 6 वर्ष के बच्चों को अपनी माताओं जिन्हें दण्ड के तौर पर जेल में दाखिल किया जाता है, के साथ रह सकते हैं। इनका पालन–पोषण सरकारी खर्चे पर किया जाता है। ऐसे बच्चों का विवरण नीचे दिया जाता है:–

1.4.2010 को गणना	वर्ष भर में दाखिल किए गए	जेल में पैदा हुए बच्चे	छोड़े गए	31.3.2011 को शेष
44	146	1	123	68

3. धर्म, आयु तथा पिछले व्यवसाय :–

वर्ष के अन्त में सिद्व दोषियों का धर्म, आयु, तथा शिक्षा और पिछले व्यवसाय के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है :–

तालिका –1

धर्म	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
ईसाई	16	0.25
मुसलमान	4,04	6.38
हिन्दु तथा सिख	5,583	88.13
बौध तथा जैन	11	0.17
दूसरे अन्य धर्म	3,21	5.07
जोड़	**6,335**	**100**

तालिका–2

अवस्था	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
16 साल से कम	.....	.....
18 साल से 21 साल तक	389	6.14
22 साल से 30 साल तक	1,776	28.04
31 साल से 40 साल तक	2,560	40.42
41 साल से 60 साल तक	1,327	20.94
60 साल से उपर	283	4.46
जोड़	**6,335**	**100**

4. **शिक्षा :–**

शिक्षा	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
वह जो पढ़ लिख सकते हैं	4,036	63.71
वह केवल जो पढ़ सकते हैं	1,198	18.92
अशिक्षित	1,101	17.37
जोड़	**6,335**	**100**

अध्यापकों द्वारा 1875 कैदियों को प्रोढ़ शिक्षा दी गई। वर्ष भर में विभिन्न जेलों के पुस्तकालयों से 8239 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई।

5. **शिक्षित व्यवसाय :–**

दिनांक 31.3.2011 को जेल में 6,335 कैदियों में से 3,637 का सम्बन्ध खेती–बाड़ी से था तथा दूसरे शब्दों में इनकी संख्या 57.41प्रतिशत थी। शेष बन्दियों का सम्बन्ध अन्य व्यवसायों से था।

6. **दण्ड :–**

तालिका न0 1

दण्ड का स्वरूप	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
साधारण कैद	2,600	41.04
कठोर कैद	3,735	58.96
जोड़	**6,335**	**100**

तालिका न0 2

दण्ड की अवधि	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
1 मास तक	127	2.00
1 मास से उपर तथा तीन मास से कम	214	3.37
3 मास से उपर तथा 6 मास से कम	206	3.25
6 मास से उपर तथा 1 वर्ष से कम	305	4.82
1 वर्ष से उपर तथा 2 वर्ष से कम	489	7.72
2 वर्ष से उपर तथा 5 वर्ष से कम	937	14.80
5 वर्ष से उपर तथा 10 वर्ष से कम	1,184	18.69
10 वर्ष से उपर तथा आजीवन कारावास	2,864	45.21
11 मृत्यु दण्ड	9	0.14
जोड़	**6335**	**100**

7. **अभयस्थ कैदी (हैबीच्यूल)**

वर्ष भर में 6335 कैदी दाखिल किए गए, दोषियों में 344 अभ्यस्थ बंदी थे।

8. **विचाराधीन बन्दी :–**

विचाराधीन बन्दियों की संख्या 1.4.2010 को 9,898 थी। वर्ष भर में 40,116 और विचाराधीन बन्दी प्रवेश हुए। इस वर्ष 42,171 बन्दियों को छोडा गया ऐसे बन्दियों की वर्ष के अन्त में संख्या 7,843 थी। विचाराधीन बन्दियो को 56 दिन तक जेल मे रहना पडा।

9. **दिवानी बन्दी :–**

वर्ष 1.4.2010 को 05 दीवानी बंदी थे। पूरे वर्ष 193 अतिरिक्त दीवानी बंदी भर्ती होने से कुल संख्या 198 हो गई। वर्ष भर मे 183 दीवानी बंदी रिहा किये गए। वर्ष के अंत में यानि 31.3.3011 को उनकी संख्या 15 थी।

10 **सुरक्षा तथा बंदियों की देखभाल :–**

बंदियो की सुरक्षा के प्रबंध तथा उनकी देखभाल पर वर्ष 1.4.2010 से 31.3.2011 तक रुपये 83,28,44,000 का कुल खर्च हुआ। इस प्रकार प्रति व्यक्ति औसत खर्चा 58,741/– रुपये प्रति वर्ष था(160 रूप्ये 93 पैसे प्रति बन्दी प्रति दिन)।

11. **बंदियों की काम पर नियुक्ति :–**

क) बंदियों की संख्या जिन्हे कठोर कारावास दिया गया –6253

ख) बंदियों की दैनिक औसत संख्या जिन्हे जेल फैक्टरी में नियुक्त किया गया–709

12. **बंदियों का स्वास्थ्य**

बंदियों का सामान्य स्वास्थ्य वर्ष भर में संतोषजनक रहा बंदियों का स्वास्थ्य स्तर ठीक प्रकार से बनाए रखने के लिये विशेष प्रयास किये गये जेसै कि डी.डी.टी. के छिड़काव इत्यादि। नहाने के स्थान, शौचालय तथा रसोई घरों के आसपास की सफाई का ध्यान रखा गया।

तपेदिक के बन्दियों को केन्द्रीय जेल अम्बाला में स्पैशल वार्ड में रखा गया और उनकी चिकित्सा का उचित प्रबन्ध किया गया।

13. **स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना :–**

10881 बंदी वर्ष भर में अस्पताल में भर्ती किए गए।

मुख्य रोग जैसे हैजा, पेचिस, मलेरिया, तपेदिक, निमोनिया, अनिमिया के शिकार हुए 877 सिद्धदोषियों को भर्ती किया गया, जिन मे से 8 बन्दियों की मौत हुई।

दिनांक 31.3.2011 को 6335 बन्दियों में से 2878 (45.43) प्रतिशत के वजन में बढ़ोतरी हुई तथा 2976 (46.97) प्रतिशत के वज़न में न ही कोई कमी हुई

और न ही कोई बढ़ोतरी हुई। 481 (7.60 प्रतिशत) बन्दियों के वज़न में कमी आई ।

जिन बन्दियों ने उच्चतम कार्य किया और जिनका आचरण सन्तोषजनक था उन 4,722 बन्दियों को छूट प्रदान की गई। 248 आजीवन कारावास बन्दियों को समय से पूर्व रिहा किया गया तथा 3,716 बन्दियों को पैरोल/फर्लो पर रिहा किया गया।

अध्याय न0 5

उद्धार प्रभार :–

सदाचार बन्दियों को परिवीक्षा अधीन रिहाई के अधिनियम–1958

1. विभाग का कार्यक्रम :–

विभाग का कार्यभार भी वर्ष 2010–11 में श्री रंजीव दलाल, आई0पी0एस0 9.3.2010 से 9.5.2010 एवं श्री राकेश मलिक, आई0पी0एस0 10.5.2010 से 1.3.2011 श्री सुधीर मोहन, आई0पी0एस0 महानिरीक्षक कारागार हरियाणा दिनांक 10.5.2010 तक डा0 के0पी0 सिंह, आई0पी0एस महानिरीक्षक कारागार हरियाणा दिनांक 10.5.2010 से, श्री जगजीत सिंह, अपर महानिरीक्षक कारागार दिनांक 10.3.2011 से श्री वी0के0 जाम्ब, मुख्य लेखा अधिकारी, श्री कर्म चंद सैनी, लेखा अधिकारी, श्री जे0एस0 गिल, सहायक जिला न्यायवादी श्री ब्रिज बिहारी, कार्यालय अधीक्षक, श्री दौलत राम, कार्यालय अधीक्षक, श्री ललित कुमार, लेखा अधिकारी, श्री हरीश कुमार, एच0पी0एस0 मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, श्री लखबीर बराड, उप अधीक्षक आई0टी0 श्री वरिन्द्र लाम्बा, उप अधीक्षक जेल मुख्यालय में ।

भाग–।

पंजाब अभ्यासिक दोषी, (नियन्त्रण एवं सुधार) अधिनियम–1958 के अन्तर्गत वर्ष भर में कोई व्यक्ति नही पकड़ा गया।

भाग–।।

परिवीक्षा अधिनियम 1958 :–

इस अधिनियम के आकस्मिक दोषियों का खासतौर पर नौजवानों को बिना जेल आदि संस्था में रखे सुधार का प्रबन्ध है। परिवीक्षा अधिकारी दोषी के घर मामले की पृष्ठभूमि आदि की रिपोर्ट द्वारा न्यायालयों की सहायता करते हैं। इसके साथ ही परिवीक्षा अधीन व्यक्ति की देखभाल करते हैं जिससे उनको अपराधी जीवन से दूर रखा जा सकता है। वह अधिनियम अब पूर्ण हरियाणा राज्य में लागू है। इस अधिनियम के कार्य का ब्यौरा सारणी न0 1 व 2 में संलग्न है।

सारणी न0 – 1

वर्ष भर में जिला परिवीक्षा अधिकारियों में 365 सामाजिक जांच रिपोर्ट न्यायालयों में भेजी। कुल मिलाकर 87 व्यक्तियों को परिवीक्षण के लिए छोड़ा गया। विभिन्न जिला परिवीक्षा अधिकारियों की देख–भाल से 31.03.2011 को 223 परिवीक्षा अधीन व्यक्ति थे। इन से पहले छोड़े गए परिवीक्षा अधीन व्यक्ति शामिल हैं। परिवीक्षा अधिकारियों ने कुल मिलाकर 962 निरीक्षण किए।

सारणी न0– 2

कुल मिलाकर परिवीक्षा नियमों का 294 व्यक्तियों ने लाभ उठाया। इनमें से कोई भी व्यक्ति को परिवीक्षा अधिनियम धारा–3 के अधीन भर्त्सना करके छोड़ा गया, 92 व्यक्तियों को देखभाल के लिए परिवीक्षण पर छोड़ा गया। 202 व्यक्तियों को बिना देखभाल के शर्त लगाकर परिवीक्षा पर छोड़ा गया।

1. **नल :–**

कुल मिलाकर पीने के पानी का प्रबन्ध संतोषजनक रहा।

2. **गन्दे पानी का निकास :–**

इसका प्रबन्ध संतोषजनक रहा। अम्बाला, हिसार तथा रोहतक में गन्दे पानी को सिंचाई के काम में लाने की व्यवस्था है।

3. **वार्डर गार्द :–**

अब केवल वार्डर गार्द का एक ही हैडक्वार्टर, केन्द्रीय जेल अम्बाला में है। इस विभाग की स्वीकृति संख्या इस प्रकार है :–

मुख्य वार्डर			255
वार्डर			2368
मैटरन			47
महिला वार्डर			138

कुल मिलाकर वार्डरों में अनुशासन संतोषजनक रहा।

4. **जेल निरीक्षण :–**

माननीय व्यक्तियों, उच्च पदाधिकारियों तथा गैर सरकारी जेल दर्शकों द्वारा विभिन्न जेलों के निरीक्षण का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

❖	माननीय मुख्य मंत्री / मंत्रीगण	3
❖	उच्च न्यायालय के न्यायधीश	25
❖	आयुक्त	3
❖	जिला एवं सैशन जज	193
❖	उपायुक्त	30
❖	महानिदेशक कारागार/अपर महानिरीक्षक जेल	57
❖	गैर सरकारी दर्शक तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों	291

चौकसी से सम्बन्धित तथ्यों बारे :–

चौकसी विभाग की ओर से वर्ष 2010–11 में किसी अधिकारी/कर्मचारी को कोई सजा नहीं दी गई ।

सामान्य

रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ो तथा तथ्यों से स्पष्ट है कि कुल मिलाकर विभाग में प्रशासन का कार्य संतोषजनक रहा। बन्दियों द्वारा तथा कर्मचारियों में अनुशासन का स्तर भी संतोषजनक रहा। बन्दियों के सुधार की ओर भी प्रगति हुई।

2. वर्ष 2010–11 में विभिन्न उद्योगों से रूपये 55,79,291 उत्पादन हुआ।

आकड़ों से ध्यान में निम्नलिखित सूचना विचाराधीन है :–

क. 18 से 21 वर्ष की आयु के अपराधियों की संख्या 5.02 प्रतिशत से बढ़कर 6.14 प्रतिशत हो गई।

ख. जेलों में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों में पढ़े–लिखों की संख्या 63.70 प्रतिशत रही।

ग. एक वर्ष या इससे कम अवधि की सज़ा पाने वालों की संख्या 17.98 प्रतिशत से घटकर 4.82 प्रतिशत हो गई क्यों कि थोड़ी अवधि वालों को विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता इसलिये यथा समय थोड़ी अवधि की सज़ा के स्थान पर प्रोबेशन आदि को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

घ. मृत्यु दण्डित आजीवन कारावास तथा 10 वर्ष तक दण्डित बन्दियों की संख्या 35.61 प्रतिशत से बढ़कर 45.21 प्रतिशत हो गई।

ङ लगभग 84.41 प्रतिशत विचाराधीन बंदी छोड़े गये । विचाराधीन बन्दियों की अधिक संख्या तथा जेलों में उपलब्ध स्थान को देखते हुए जमानत प्रावधानों पर सरकार द्वारा पुनः विचार की आवश्यकता है। जिससे लधु अपराध में विचाराधीन बन्दियों को जमानत पर न्यायालय द्वारा छोड़ा जा सके जोकि जेल की जनसंख्या को भी सीमित रखने में सहायक होगा।

(यश पाल सिंगल)
महानिदेशक कारागार, हरियाणा।

सारणी–1

परिवीक्षा अपराध अधिनियम 1958 के अधीन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की वार्षिक रिपोर्ट 2010–11 के दौरान निरीक्षण में रखे गये परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं0	जिले	प्रारंभिक जांच रिपोर्ट वर्ष 2010 –11 के दौरान न्यायालयों को भेजे गये।	वर्ष 2010–11 के शुरू होने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको परिवीक्षाधीन रखा गया		ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी परिवीक्षा - धीन अवधि को समाप्त कर दिया गया	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी परिवीक्षाधीन अवधि ठीक प्रकार समाप्त हुई	जिन्होंने परिवीक्षा नियमों का उल्लंघन किया	दूसरे राज्यों व जिला परिवीक्षा अधिकारी को भेजे गये की संख्या	कुल निकाले	31.03.11 के अन्त में परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की संख्या	जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया
				राज्य	राज्य से बाहर							
1	2	3	4	5 क	5 ख	6	7	8	9	10	11	12
1.	अम्बाला	0	10	9	1	0	0	0	0	0	10	0
2.	हिसार	3	7	7	0	0	0	0	0	7	7	0
3.	रोहतक	8	36	36	0	22	22	0	0	22	14	17
4.	करनाल	10	9	9	0	2	2	0	0	2	7	17
5.	सिरसा	0	113	110	3	17	17	0	0	17	96	0
6.	जीन्द	240	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
7.	गुड़गांव	104	65	45	4	0	39	0	0	39	75	926
8.	भिवानी	0	4	28	0	16	16	0	0	0	12	0
	कुल	**365**	**246**	**244**	**8**	**57**	**96**	**0**	**0**	**87**	**223**	**962**

सारणी–2

परिवीक्षा अपराधी अधिनियम 1958 के अधीन व्यक्तियों की रिहाई वार्षिक विवरण पत्र 2010–11

क्रम सं0	जिला	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के अधीन रिहाई यानि भर्त्सना करके छोड़े गये	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन रिहाई पर बिना निरीक्षण के	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(3) के अधीन निरीक्षण पर रिहा	कुल व्यक्ति जो परिवीक्षा अधिनियम के अनुसार रिहा किये गये
1	2	3	4	5	6
1.	अम्बाला	0	0	0	0
2.	हिसार	0	27	7	34
3.	रोहतक	0	12	10	22
4.	करनाल	0	0	2	2
5.	सिरसा	0	17	0	17
6.	जीन्द	0	0	0	0
7.	गुडगावं	0	145	49	194
8.	भिवानी	0	1	24	25
	कुल	0	202	92	294

52432—D.G.P.—H.G.P., Chd.